बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–07/2018 60 पटना, दिनांक: 22/04/2020

कार्यालय आदेश

श्री दीन दयाल प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर संप्रति सेवानिवृत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, निदेशालय (मुख्यालय) के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–374150 दिनांक–12.06.2018 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–01(मुख्य)/अभि० दिनांक–22.02.2018 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र 'क' पर निदेशालय के का०आ०सं०–62 सहपठित ज्ञापांक–453 दिनांक–27.02.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), बक्सर को संचालन पदाधिकारी तथा निदेशक ले०प्र०,ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । निदेशालय के का०आ०सं०–141 सहपठित ज्ञापांक–1046 दिनांक–29.05.2019 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43(बी) के तहत परिवर्तित किया गया।

श्री दीन दयाल प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर के विरुद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i) पंचायत –हरनाथपुर, प्रखंड– ब्रह्मपुर, में वित्तीय वर्ष 2010–11 में सुनहली देवी के पति श्री मूरत राम, पिता–श्री देवधारी राम का नाम बी०पी०एल०क्रमांक– 150, पहचान संख्या–613 पर अंकित है, जिन्हें इंदिरा आवास आवंटित किया गया। आवंटित राशि संबंधित लाभुक के खाता संख्या–70631700107673 (मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, निमेज, बक्सर) में हस्तांतरित हुआ है तथा बैंक खाता में सुनहली देवी के पति श्री मूरत राम दर्ज है। सुनहली देवी से पूछताछ करने पर बताया गया कि उनका नाम लचिया देवी भी है एवं पति का नाम श्री शिवमुखी राम है। श्री शिवमुखी राम से पूछताछ करने पर बताया गया कि उनका नाम मूरत राम भी है। इस स्थिति में स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बताया गया कि श्री शिवमुखी राम उर्फ मूरत राम एक ही व्यक्ति एवं सुनहली देवी उर्फ लचिया देवी एक ही महिला का नाम है।

जॉच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अगर लाभुक एवं उसके पति के एक से अधिक नाम थे एवं मतदाता पहचान पत्र एवं इंदिरा आवास प्रतीक्षा सूची में नाम में अंतर था तो बिना किसी शपथ पत्र के ही इंदिरा आवास आवंटित करना आपकी लापरवाही का द्योतक है।

(ii) पंचायत–हरनाथपुर, प्रखंड– ब्रह्मपुर, बक्सर में वित्तीय वर्ष 2010–11 में फुल कुमारी देवी, पति –देवधारी राम, पिता–स्व० सूरत राम को बी०पी०एल० सूची क्रमांक–164, पहचान संख्या–603 के आधार पर इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया, जबकि जॉच पदाधिकारी ने अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि वास्तव में फुल कुमारी देवी के पति का नाम –श्री झगरू पासवान, पिता–स्व० रघुवीर पासवान है,

158, स्था० 1(का०आ०) (20 April) Dindayal

जिसका नाम बी०पी०एल० सूची क्रमांक–345, पहचान संख्या–1771, प्राप्तांक –12 पर दर्ज है। वर्ष 2014–15 में फुल कुमारी देवी, पति –झगरू पासवान को बी०पी०एल० क्रमांक–345, पहचान संख्या–1771 के लिए इंदिरा आवास आवंटित किया गया। दोनों अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही लाभुक को दो बार इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है तथा एक ही लाभुक का फोटो लगाया गया है। इंदिरा आवास के आवंटन में आपके द्वारा नियमों की अनदेखी की गई है, जो आपकी मनमानी को परिलक्षित करता है।

(iii) पंचायत–हरनाथपुर, प्रखंड– ब्रह्मपुर में वित्तीय वर्ष 2010–11 में लक्ष्मीना देवी, पति –बृज कुमार राम, पिता–श्री शिवशंकर राम को बी०पी०एल० सूची क्रमांक–170 पहचान संख्या–1924, प्राप्तांक–11 के आधार पर इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया, जबकि जॉच पदाधिकारी ने अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि वास्तव में लक्ष्मीना देवी के पति का नाम–श्री नन्दजी राम है, जिनका नाम बी०पी०एल० सूची क्रमांक–337, पहचान संख्या–590, प्राप्तांक–12 पर दर्ज है। वर्ष 2014–15 में लक्ष्मीना देवी पति –नन्दजी राम को बी०पी०एल० सूची क्रमांक–338, पहचान संख्या–590 के लिए इंदिरा आवास आवंटित किया गया। दोनो अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक ही लाभुक को दो बार इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है तथा एक ही लाभुक का फोटो लगाया गया है। इंदिरा आवास के आवंटन में आपके द्वारा नियमों की अनदेखी की गई है, जो आपकी मनमानी को परिलक्षित करता है।

(iv) उपरोक्त लाभार्थियों को अनियमित/नियमों की अनदेखी कर आवंटित किए गए इंदिरा आवास के संबंध में आपसे इस कार्यालय के पत्रांक–1905/अभि० दिनांक– 10.11.2016, पत्राक–389/अभि० दिनांक–08.04.2017, पत्रांक–1167/अभि० दिनांक–03.11.2017 एवं पत्रांक–1351/अभि० दिनांक–15.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गई है, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण नही दिया गया है, जो आपकी अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।

2. अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–03–2884/रा० दिनांक–30.12.2019 द्वारा समर्पित संचालन–सह–जॉच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया है कि :–

" आरोपी कर्मी श्री दीन दयाल प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर संप्रति सेवानिवृत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, निदेशालय (मुख्यालय) के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में उल्लेखित आरोप, आरोपी कर्मी से प्राप्त स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य तथा अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संख्या–01, 02, 03 एवं 04 प्रमाणित नहीं होता है।

3. इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दीन दयाल प्रसाद के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है और सरकारी सेवक श्री प्रसाद सेवानिवृत हो चुके हैं। अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री दीन दयाल प्रसाद को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

158, स्था० 1(का०आ०) (20 April) Dindayal

4. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दीन दयाल प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर संप्रति सेवानिवृत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, निदेशालय (मुख्यालय) को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–07/2018 611 / पटना, दिनांकः 22-04-2020

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–374150 दिनांक–12.06.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक–01(मुख्य)/अभि० दिनांक–20.02.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार/ बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सहायक निदेशक (स्थापना), निदेशालय (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री दीन दयाल प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर, बक्सर संप्रति सेवानिवृत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, निदेशालय (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 22/04

158, स्था० 1(का०आ०) (20 April) Dindayal